फा. सं. 6/41/2012-एफआई

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

*****

तीसरा तल, जीवनदीप,

संसद मार्ग, नई दिल्ली।

दिनांक 18.02.2013

सेवा में,

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के सीईओ,

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष

विषय- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-बोर्ड अनुमोदित कार्यान्वयन योजना तैयार करना।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2013 से 26 योजनाओं हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) प्रारम्भ की है। योजना 31 जिलों में पहले से ही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा 1 मार्च, 2013 को 12 और जिलों में प्रारम्भ की जानी है जिससे प्रायोगिक जिलों की कुल संख्या 43 हो गयी है। डीबीटी योजना को शीघ्र ही अन्य जिलों तथा योजनाओं तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की सम्भावना है.

2. बैंकों, विशेष रुप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक उपस्थिति के कारण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को लागू करने में विशेष भूमिका है। विशेष रुप से बैंकों से यह अपेक्षित हैः

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक लाभार्थी की इच्छानुसार एक बैंक खाता हो में संबंधित सरकारी विभागों की सहायता करें। (तथापि, लाभार्थी अपनी इच्छा के अनुसार इसके बदले डाकघर में भी अपना खाता रख सकता है।

ii. एनपीसीआई की आधार भुगतान सुविधा सहित तैयार हो, बैंक खातों में आधार जोड़े तथा उसे एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करें। अब सभी पीएसबी आधार भुगतान सुविधा में शामिल हो गए हैं।

iii. संबंधित सरकारी विभागों से प्राप्त भुगतान परामर्श के आधार पर लाभार्थियों के खातों में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण करें।

iv. विभिन्न पहुंच बिन्दुओं यथा शाखा, एटीएम, व्यवसाय प्रतिनिधि एजेन्टों (बीसीए) के माध्यमों से लाभार्थियों को राशि का अंतरण करने के लिए बैंकिंग अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रत्येक बैंक उसे प्रदत्त ग्रामीण क्षेत्र का सेवा क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों में आवंटित वार्डों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यापक योजना तैयार करें। इससे बैंक अपने द्वारा विभिन्न स्तरों पर पूरी की जाने वाली गतिविधियों एवं उनकी समय सीमा पर स्पष्ट रुप से ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम होंगें। कार्यान्वयन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल होंगेः-

i. आवंटित सेवा क्षेत्र की मैपिंग द्वरा बैंकिंग अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण का आकलन। इसमें खोले जानी वाली नई बैंक शाखाओं की संख्या तथा अवस्थिति, लगाए जाने वाले एटीएम तथा व्यवसाय प्रतिनिधि एजेन्ट के रुप में नियुक्त किए जाने वाले व्यवसाय प्रतिनिधि एजेन्ट अथवा सामान्य सेवा क्षेत्र की पहचान शामिल होगी। उनको शुरु करने हेतु मास तथा क्षेत्र-वार योजना भी तैयार की जाए।

ii. बैंक ग्राहकों की संपूर्ण परस्पर परिचालनीयता (आपरेबिल्टि) को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां। बैंक शाखा का ग्राहक बीसीए के साथ लेन-देन करने में सक्षम होगा तथा बीसीए के पास पंजीकृत ग्राहक बैंक शाखा अथवा किसी अन्य चैनल के साथ लेन-देन करने में सक्षम होगा। बैंक का ग्राहक किसी अन्य बैंक के बीसीए के साथ भी लेन-देन करने में भी सक्षम होगा। बैंकों को परस्पर-आपरेबल वातावरण की ओर शीघ्रता से बढ़ना होगा।

iii. यह सुनिश्चित करना कि बैंक के सेवा क्षेत्र में प्रत्येक लाभार्थी का बैंक खाता है। यदि लाभार्थी यह चाहता है तो यह खाता किसी अन्य बैंक अथवा डाकघर में हो सकता है। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टरों तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों में समीपवर्ती/उचित समन्वय की आवश्यकता होगी। संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा जिला कलेक्टरों के माध्यम से लाभार्थियों का योजना-वार ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा तथा बैंकों को उनके सेवा क्षेत्र के अनुसार परिचालित किया जाएगा। इसके आधार पर जहां आवश्यकता हो वहां बैंक खाते खोले जाएं।

iv. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत प्रारम्भ की जा रही योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एटीएम डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करना।

v. प्रत्येक बैंक शाखा तथा उपयुक्त स्थानों में आन साइट एटीएम लगाना।

vi. यह सुनिश्चित करना कि पीएसबी द्वारा प्रायोजित आरआरबी भी आधार भुगतान सुविधा, जोकि एनपीसीआई द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह में अब सम्मिलित कर ली गयी है, के साथ तैयार है।

vii. यह सुनिश्चित करना कि सामान्य सेवा केन्द्रों को बीसीए के रुप में उपयोग करने के बैंक कियोस्क आधारित बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराने हेतु तैयार है।

viii. डीबीटी के कार्यान्वयन, बैंक खाते खोलने, जिला प्रशासन/लाभार्थी से आधार विवरण एकत्र करना, एनपीसीआई मैपर द्वारा बैंक खातों की मैपिंग, डीबीटी फाइलों को अपलोड करना, डीबीटी परामर्श की सफलता/असफलता के बारे में प्रायोजक विभाग को सूचित करना तथा एमआईएस के सृजन के बारे में अनुदेश सभी स्तरों पर स्पष्ट रुप से वर्णित हों।

4. कार्यान्वयन योजना, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ 3 में बताया गया है को क्षेत्र/अंचल तथा विभिन्न प्रशासनिक अनुक्रमों पर तैयार करके बैंक स्तर योजना के रुप में समग्र किया जाए। इससे विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जा सकेगा। कार्यान्वयन योजना 28.02.2013 तक तैयार हो जानी चाहिए तथा fi-dfs@nic.in पर इस विभाग को एक प्रति भेजी जाए। कार्यान्वयन योजाना को बोर्ड की अगली बैठक में उसके सम्मुख रखा जाए तथा पारित कराया जाए। यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो अनुमोदित योजना की एक प्रति भी इस विभाग को भेजनी होगी।

5. इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक पखवाड़े बैंक के सीएमडी द्वारा की जानी होगी। समीक्षा हेतु प्रगति को प्रत्येक बोर्ड बैठक में भी प्रस्तुत करना होगा।

6. प्रायोजक बैंक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आरआरबी में भी कार्यान्वयन योजनाएं तैयार की जाएं।

7. इसे सचिव वित्तीय सेवाएं के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(संदीप कुमार)

निदेशक (एफआई)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रतिलिपिः

1. डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।
2. सीईओ, भारतीय बैंक एसोसिएशन, मुम्बई।